

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in. Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 539

दिनांक 7/2/19

आदेश

यतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरण से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश संख्या 3131 दिनांक 10.09.2009, 4796 दिनांक 09.11.2009 एवं 494 दिनांक 11.02.2014 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

1. आधार कार्ड।
2. पासपोर्ट।
3. ड्राइविंग लाइसेन्स।
4. आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन.)।
5. मनरेगा जॉब कार्ड।
6. सांसदों, विधान सभा/परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।

7. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
9. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
11. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आए तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन) 7.2.2019
सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 560-67 दिनांक 7/2/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
7. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

स्तोत्र

7.2.2019
सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ 1 (2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/2014/4630

दिनांक: 2/11/19

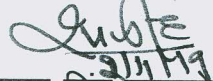
संशोधित आदेश

विषय:- मतदाताओं की पहचान स्थापित करने लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग का पत्र क्रमांक एफ 1 (2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/2014/559 दिनांक 07.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयोग के संदर्भित आदेश दिनांक 07.02.2019 द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

उक्त आदेश में वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 6 की विद्यमान प्रविष्टि "6. सांसदों, विधान सभा/परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।" के स्थान पर प्रविष्टि "6. सांसदों एवं विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

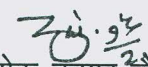
आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांक एफ 1 (2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/2014/4631-39

दिनांक: 2/11/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को साफ्ट कॉपी के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
7. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त शाखा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव